संख्या 31011/18/90-स्था० (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- लद्दाख क्षेत्र में तैनात सरकारी कर्मचारियों को केवल सर्दी के दौरान जहाज द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा के बारे में।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 22-4-88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/15/87-स्था०(ए) का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि लेह और श्री नगर के बीच यात्रा के लिए लद्दाख क्षेत्र में तैनात सरकारी कर्मचारियों के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने की सुविधा देने के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस विभाग में मामले पर विचार किया गया है और इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा लेह और श्रीनगर के बीच की यात्राओं के लिए भी दे दी जाए। अत: उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1(ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है और इसे यों पढ़ा जाएगा :-

"(ii) हवाई जहाज यात्रा की यह सुविधा लेह और श्रीनगर/जम्मू/चण्डीगढ़ के बीच की आने तथा जाने की यात्रा तक ही सीमित होगी। तथापि यह सुविधा लेह और उपर्युक्त तीन स्थानों में से एक के बीच तक ही अनुज्ञेय होगी। श्रीनगर/जम्मू/चण्डीगढ तथा मूल निवास स्थान अथवा यात्रा के किसी अन्य स्थान, जैसा भी मामला हो, के बीच की यात्राओं को संबंधित सरकारी कर्मचारी की सामान्य पात्रता द्वारा विनियमित किया जाएगा।

2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, इसे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

3. कृपि मंत्रालय इत्यादि कृपया उपर्युक्त निर्णय को उन सभी प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें जिनके कार्यालय लद्दाख क्षेत्र में है।

(एम०एस० बाली)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।